

(1)

कार्यालय :- (आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी)

जिला न्यायालय, भरतपुर।

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 03

दिनांक :- 24/7/24

:- सूचना :-

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर ने अपने कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक स्था0/2026/243 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा इस कमेटी का गठन करते हुए इस न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड-III की विभागीय पदोन्नति हेतु नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिये हैं। अतः आशुलिपिक ग्रेड-II के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत, भरतपुर न्यायक्षेत्र में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत विद्यमान आशुलिपिक ग्रेड-III में से, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा व हिन्दी/अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में, **दिनांक 28.07.2026** को कार्यालय समय तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। आवेदन पत्र सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवा कर प्रेषित किये जायें। आवेदन पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगायें तथा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करवायें।

(1)- **पात्रता :-**

1- आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदक को भरतपुर न्यायक्षेत्र में किसी अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत होना चाहिये। **ऐसा अभ्यर्थी (आशुलिपिक ग्रेड-III) परीक्षाधीन नहीं होना चाहिये।**

2- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 के **नियम 14A** के अनुसार "**Disqualification for promotion :-** "The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after commencement of this rule shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after commencement of this rule and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he/she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments. However, no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this rule. The person already promoted shall not be reverted due to implemented of this rule."

Provided that if a Government servant had single child on the date of commencement of these rules but more than one child are born in a single subsequent delivery, the children so born shall be

24/7/24

(2)

treated as one while counting the total number of children.

Provided further that for purpose of this rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(Subs. Vide DOP Notification No. F.3(33)DOP/A-II/85Pt. Dt. 24.09.2024 Pub. In Raj.Gazette Exty.Pt. IVC Dated 25.09.2024, pg 197)

इस सम्बन्ध में आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में, 50/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र (नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।

(2)- **परीक्षा :-**

अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा क्रमशः 75 शब्द एवं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी तथा साथ ही 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा (8000 key depressions per hour in Hindi/English Typing on computer) ली जायेगी।

हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा हेतु आवेदक को पेन्सिल तथा पेन साथ में लाना होगा तथा श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर टंकित कर लिप्यान्तरित (Transcript) करना होगा। आशुलिपिक की नोट बुक (स्टेनो-डायरी) इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा (Speed Test of Hindi Typing on computer) हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कागज इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

आशुलिपि की श्रुतिलेख गति परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा **दिनांक 02.08.2026 (रविवार)** को प्रातः 09:00 बजे राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर में ली जायेगी।

अभ्यर्थियों की सूची व रोल नम्बर इत्यादि की सूचना जिला एवं सत्र न्यायालय भरतपुर के सूचना पट्ट पर **दिनांक 30.07.2026** को लगा दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व जानकारी प्राप्त कर ले। पृथक् से किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

(3)- **अन्य :-**

परीक्षा का परिणाम बन्द लिफाफे में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरतपुर को प्रेषित किया जायेगा।

किसी भी अभ्यर्थी को हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा व कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में भाग लेने के लिये इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी।

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर का रहेगा।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाइट <http://bharatpur.dcourts.gov.in> व माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, भरतपुर

Cmy 24/7/26

(3)

के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

Chet
24/7/2026

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी
जिला न्यायालय, भरतपुर

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 06

दिनांक :- 24/7/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर।
- 2- सूचना पट्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, भरतपुर।
- 3- भरतपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय जरिये ईमेल
- 4- सीनियर सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, भरतपुर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 5- कार्यालय प्रति।

Chet
24/7/2026

अध्यक्ष

आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी
जिला न्यायालय, भरतपुर

(4)

आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

- 1- नाम :
- 2- पिता का नाम :
- 3- शैक्षणिक योग्यता :
- 4- वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम :
- 5- सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि (अंकों व शब्दों में) :
- 6- वर्तमान पद पर स्थाई/अस्थायी/प्रोबेशनर :
- 8- सन्तानों की संख्या तथा उनकी जन्म-तिथि :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

क्रमांक :

दिनांक :

इस कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत उक्त कर्मचारी का आवेदन पत्र आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी, 2022 जिला न्यायालय, ..., को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व मोहर

(5)

प्रारूप

— शपथ पत्र :—

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि दिनांक 06-07-2010 के पश्चात् मेरी
तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि मैं अविवाहित हूं।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

सत्यापन :- मैं, ... पुत्र/पुत्री निवासी
..... आज बमुकाम में
शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य
मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है, न ही कुछ
भी छुपाया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर